



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 16.10.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना पैलानी पुलिस द्वारा युवक की डण्डे से मारपीट कर हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त द्वारा ग्राम पैलानी डेरा में दिनांक 14.10.2026 की रात्रि को युवक की, की गई थी हत्या।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री प्रतिज्ञा सिंह के नेतृत्व में थाना पैलानी पुलिस द्वारा युवक की डण्डे से मारपीट कर हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम पैलानी डेरा में दिनांक 14.10.2026 की रात्रि को एक युवक की डण्डे से मारकर हत्या कर दी गई थी और शव को मृतक के दरवाजे पर ले जाकर फेंक दिया था। जिसके सम्बन्ध में मृतक के पिता सरजू प्रसाद की तहरीर पर गांव के ही जगन्नाथ उर्फ गेहू व राजा भइया उर्फ रज्जा के विरुद्ध थाना पैलानी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन कर दिया गया था। उच्चाधिकारीगण व पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं भौतिक साक्ष्य संकलित किए गए थे तथा आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गईं। साथ ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहनता से जांच की गई। इसी क्रम में थाना पैलानी पुलिस द्वारा घटना में शामिल नामजद दोनों अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर पैलानी डेरा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी –

- घटना में प्रयुक्त डंडा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जगन्नाथ उर्फ गेहू पुत्र कलूवा निवासी पैलानी डेरा थाना पैलानी जनपद बांदा।
2. राजा भइया उर्फ रज्जा पुत्र खेलावन निवासी पैलानी डेरा थाना पैलानी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग –

- मु0अ0सं0 218/26 धारा 103(1)238 बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री राम मोहन राय प्र0नि0 थाना पैलानी
2. व0उ0नि0 श्री शिवबीर सिंह
3. कां0 वेद प्रकाश मिश्रा
4. कां0 कृष्ण कुमार यादव